<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ (अलवर)</u>

पीठासीन अधिकारी सुभाष यादव (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या 3 / 20 / 2024

बउनवान

1. सुनैना पुत्री ओमप्रकाश स्त्री विपिन कुमार उम्र करीब 48 साल जाति ब्राहम्ण निवासी न्याणा तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर।
2. नमीता शर्मा पुत्री स्व0 मनोज कुमार शर्मा उम्र करीब 16 साल जाति ब्राहम्ण निवासी न्याणा तहसील गोविन्दगढ़ नाबालिग जरिये सरपरस्त सत्यादेवी पत्नी स्व0 ओमप्रकाश शर्मा निवासी न्याणा माता खुद

———प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, गोविन्दगढ़ जिला अलवर।

———अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136
राज0 भू.राजस्व अधि0 1956

उपस्थितः—
श्री कीर्तिनंदन शर्मा — अधिवक्ता प्रार्थी
पैरोकार सरकार — अप्रार्थी

<u>आदेश</u> **दिनांक 28.04.2025**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नं. हाल 101 रकबा 1.1507 है0 , 66 रकबा 1.4415 है0 वाके ग्राम न्याणा तहसील गोविन्दगढ़ में प्रार्थीया सं. 1 का 1 / 15 भाग की व प्रार्थीया सं. 2 के पिता मनोज कुमार शर्मा 1 / 15 भाग खातेदार काश्तकार है। जो आराजी इनको अपने पिता ओमप्रकाश की विरास्त में प्राप्त हुई है। लेकिन हाल राजस्व रिकॉर्ड में राजस्व कर्मचारियों ने सहवन से प्रार्थीया

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज0

सं. 1 सुनैना पुत्री ओमप्रकाश के नाम को गलती से निक्को व प्रार्थीया सं. 2 के मृतक पिता मनोज कुमार शर्मा के नाम को राजेश पुत्र ओमप्रकाश गलत दर्ज कर रखा है। इसलिए हाल राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। जिसमें अन्य सह खातेदारों के हिस्से को नही छेड़ा गया है ना ही उनसे कोई अनुतोष चाहा गया है। मात्र नाम दुरूस्ती चाही है, इसलिए अन्य सहखातेदारों को अनावश्यक पक्षकार नही बनाया गया है।

यह है कि प्रार्थीया सं. 1 का वास्तविक नाम सुनैना है लेकिन बचपन मे निक्को भी बोल देते थे। सुनैना की जगह निक्को अशुद्ध नाम दर्ज कर दिया गया है। जबकि वास्तविक नाम सुनैना है, यही नाम प्रार्थीया का नाम समस्त राजकीय दस्तावेंजों जैसे आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, आदि में दर्ज है।

यह है कि प्रार्थीया सं. 2 के पिता का वास्तविक नाम मनोज कुमार शर्मा है लेकिन इसे हाल राजस्व रिकॉर्ड मे राजेश गलत दर्ज कर दिया है। जबकि राजेश नाम का कोई लड़का ओमप्रकाश नही था। इसके सभी राजकीय दस्तावेजों में सही नाम मनोज कुमार शर्मा पुत्र ओमप्रकाश ही दर्ज है।

अतः प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम पेश कर आराजी खसरा नं. हाल 101 रकबा 1.1507 है0 , 66 रकबा 1.4415 है0 वाके ग्राम न्याणा तहसील गोविन्दगढ में प्रार्थीया सं. 1 का नाम निक्को पुत्री ओमप्रकाश की जगह सुनैना पुत्र ओमप्रकाश पत्नी विपिन कुमार व प्रार्थीया सं. 2 के पिता का नाम राजेश पुत्र ओमप्रकाश की जगह मनोज कुमार शर्मा पुत्र ओमप्रकश दर्ज कर हाल राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त फरमाये जाने बाबत निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रजिस्टर दर्ज कर अप्रार्थी को नोटिस जारी कर तलब किया गया।

अप्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र में जवाब प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी ने जवाब में प्रमुखत कथन किया है कि जॉच करने पर राजेश पुत्र ओमप्रकाश का सही नाम मनोज पुत्र ओमप्रकाश व निक्को पुत्री ओमप्रकाश का सही नाम सुनैना पुत्र ओमप्रकाश सही पाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, गोविन्दगढ़
सत्यमेव जयते
जिला अलवर (राज०)

प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र की ताहिद में प्रार्थीया सुनैना पुत्री ओमप्रकाश, सत्यादेवी पत्नी ओमप्रकाश व पंकज कुमारी शर्मा पुत्र ओमप्रकाश के साक्ष्य हेतु शपथ पत्र पेश किये तथा आधार कार्ड, पहचान पत्र, हाल जमाबंदी संवत् 2071–75 खाता सं. 339 व 340, नामांन्तकरण की प्रति इत्यादि पेश किये है।

<u>136 Correction of errors:-</u> the land records officers may at any time, correct of cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record to right or register, or which a revenue officer may notice during the course of his inspection in any during records of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been to the parties.

बहस प्रार्थना पत्र सुनी गयी। हमने बहस का मनन किया। पत्रावली का समग्र अवलोकन किया। प्रार्थीया 1 की माता एवं प्रार्थीया सं. 2 की दादी श्रीमती सत्यादेवी पत्नि स्व. ओमप्रकाश शर्मा निवासी न्याणा द्वारा अपने बयान में स्वीकार किया है कि आराजी ख.नं. 101, 66 वाके ग्राम न्याणा में राजस्व रिकॉर्ड में मेरी पुत्री सुनैना के नाम को गलती से निक्को दर्ज कर दिया, मनोज कुमार शर्मा के नाम राजेश गलत दर्ज कर

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

दिया है जबकि मेरी बेटी का नाम निक्को नही होकर के सुनैना है व पुत्र का नाम मनोज कुमार शर्मा है।

अप्रार्थी सं. 1 तहसीलदार गोविन्दगढ़ ने भी अपने जवाब/रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि राजेश पुत्र ओमप्रकाश का सही नाम मनोज पुत्र ओमप्रकाश, निक्को पुत्र ओमप्रकाश का सही नाम सुनैना पुत्री ओमप्रकाश पाया गया। ऐसी स्थिति में प्रा0 पत्र प्रार्थी स्वीकार करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रा0 पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 136 भू0राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर आदेश है कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी 2075 (2018) से स्थायी वाके ग्राम न्याणा तहसील गोविन्दगढ़ ख.नं. 101, 66 रकबा क्रमशः 1.1507 है0, 1.4415 है0 में दर्ज निक्को पुत्री ओमप्रकाश , राजेश पुत्र ओमप्रकाश का नाम हल्फ कर उसकी जगह क्रमशः सुनैना पुत्री ओमप्रकाश, मनोज कुमार पुत्र ओमप्रकाश दर्ज किया जावे।

(सुभाष यादव)
उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर)

अतः यह आदेश आज दिनांक 28.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर)